



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ 27(39)/एनआरएचएम/देशी घी/प्रगति रिपोर्ट/09/16526

दिनांक : 31-3-11

समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त, अतिरिक्त एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)

विषय:- बीपीएल परिवारों की महिलाओं के प्रथम राजकीय संस्थागत प्रसव पर उपहार स्वरूप 5 लीटर सरस देशी घी योजना के तहत कार्यक्रम की पाक्षीक रिपोर्ट को नए Format में भिजवाने बाबत।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 01.04.2011 से वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पाक्षीक रिपोर्ट निम्न Format में इस विभाग के **Medical Central Server Room** में भिजवाने का श्रम करावें।

बी.पी.एल. प्रसूताओं के परिवारों की महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रथम प्रसव पर देय 5 लीटर सरस देशी घी का पाक्षीक प्रतिवेदन

जिले का नाम..... माह का नाम..... पाक्षीक नाम (प्रथम/द्वितीय).....


कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	बी.पी.एल. प्रसवों की संख्या	बी.पी.एल. परिवार के प्रथम प्रसवों की संख्या	घी हेतु जारी कूपनों की संख्या	प्रथम प्रसव के लिए घी हेतु जारी कूपनों का विवरण										
				अन्य पिछडा वर्ग बीपीएल महिला		एस. सी. बीपीएल महिला		एस. टी. बीपीएल महिला		कॉलम संख्या 5 से 10 का योग		सामान्य बीपीएल महिला		
				कुल प्रथम प्रसव	जारी कूपन संख्या	कुल प्रथम प्रसव	जारी कूपन संख्या	कुल प्रथम प्रसव	जारी कूपन संख्या	कुल प्रथम प्रसव	जारी कूपन संख्या	कुल प्रथम प्रसव	जारी कूपन संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

रिपोर्ट भिजवाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि कॉलम संख्या 5,7,9 एवं 13 का योग कॉलम संख्या 3 के बराबर ही होना चाहिये। इसी प्रकार कॉलम संख्या 6,8,10 एवं 14 को योग कॉलम संख्या 4 के बराबर होना चाहिये। अतः उपरोक्त प्रारूप में सूचना प्राप्त होने पर ही आपको वित्तीय वर्ष 2011-12 में बजट भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
2. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक।
3. कन्सलटेन्ट आई.टी. को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने का श्रम करें।
4. रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना